माननीय न्यायमूर्ति ए. एल. बकरी और एन. के. कपूर के समक्ष

के. जी. वर्मा-याचिकाकर्ता।

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और एक अन्य-उत्तरदाता।

1993 की सिविल रिट याचिका संख्या **12688**

4 फरवरी, **1994**।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद *226*-जनहित याचिका रिट याचिका का एक में रूपांतरण-चाहे अनुमत हो-सरकारी घर के आवंटन की मांग करने वाला याचिकाकर्ता-इस आधार पर याचिका को जनहित याचिका में परिवर्तित करने की मांग की गई कि आवंटन के नियमों का कभी पालन नहीं किया गया।याचिका में दावा की गई राहत केवल याचिकाकर्ता को घर के आवंटन के लिए है-अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई दावा नहीं किया गया-याचिका को जनहित याचिका में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

अभिनिर्णित किया गया कि वर्तमान मामले में अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई विशिष्ट राहत का दावा नहीं किया गया है, बल्कि दावा की गई राहत केवल सरकारी घरों में से एक के आवंटन के लिए याचिकाकर्ता के संबंध में है।इस याचिका को जनहित याचिका में बदलने के याचिकाकर्ता के तर्क को खारिज कर दिया गया है।न्यायिक प्रक्रिया को किसी व्यक्ति की इच्छाओं की संतुष्टि के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, भले ही वे स्पष्ट रूप से पवित्रदिखें, जैसा कि बिहार राज्य बनाम कमलेश जैन, जे. टी. 1992 (6) एस. सी. 257 में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्णित किया था।

(पैरा **8)**

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद *14*-सरकारी निवास *(*चंडीगढ़ प्रशासनिक पूल) आवंटन नियम *1972*-नियम *26*-नियमों में ढील देने के लिए मुख्य आयुक्त की शक्ति-न्यायसंगत-नियमों में ढील देकर नियम *26* के तहत किए गए प्रत्येक आवंटन को अनुचित या मनमाना नहीं बनाया जा सकता है।

माना गया कि दोनों नियमों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की आवश्यकता है जो ऐसे नियमों को तैयार करने के उद्देश्य को बढ़ाएगी।यह तथ्य कि नियम 26 के तहत आवंटन बारी-बारी से करने के लिए प्रावधान किया गया था, नियमों के अन्य प्रावधानों के तहत विचार किए जाने के अलावा, घरों के आवंटन की शक्ति का प्रयोग करने की स्थिति का संकेत देता है।ऐसी शक्ति मुख्य आयुक्त के अलावा किसी और को नहीं दी जाती है।नियम 26 के तहत घर के आवंटन के प्रत्येक आदेश को अनुचित या मनमाना नहीं कहा जा सकता है, जो घरों के आवंटन के लिए पात्रता या हक प्रदान करने वाले नियमों के अन्य प्रावधानों के अनुसार नहीं है।शुरुआत में यह देखा जा सकता है कि नियम 26 (उपरोक्त) के तहत मुख्य प्रशासक के पास शक्ति बहुत व्यापक है।यह न केवल बारी-बारी से घरों के आवंटन की शक्तियों को प्रदान करता है, बल्कि उसे पूल से घरों को बाहर निकालने और घरों को चिह्नित करने या उनकी श्रेणियों को बदलने का भी अधिकार देता है।

(पैरा 10)

केजी वर्मा।याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से एम. एल. सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता अलका सरीन के साथ।

न्यायमूर्ति ए, एल. बहरी,

1. याचिकाकर्ता A.S.C अधिकारी हरियाणा सरकार, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, चंडीगढ़ के सचिव के रूप में तैनात है।उन्होंने

प्रतिवादी को चंडीगढ़ प्रशासन पूल आवंटन नियम, 1972 का सख्ती से पालन करने के निर्देश के साथ सेक्टर 7, चंडीगढ़ में सदन संख्या 3408, सेक्टर 24, या सदन संख्या 4,11 या 25 में से किसी को भी आवंटित करने

परमादेश देने की मांग की है।जुलाई 1992 में उन्हें चंडीगढ़ में तैनात किया गया था।उन्होंने उपरोक्त नियमों के तहत चंडीगढ़ प्रशासन को पूल ऑफ हाउस में से वी-टाइप हाउस के आवंटन के लिए आवेदन किया।इसके बाद उन्होंने प्रशासक के सलाहकार से मुलाकात की।यह बताया गया कि यदि हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव से विशिष्ट सिफारिश प्राप्त होती है तो उन्हें चतुर्थ प्रकार का घर आवंटित किया जाना चाहिए।इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने मुख्य सचिव से ऐसी सिफारिश करने का अनुरोध किया जो तदनुसार चंडीगढ़ प्रशासन से याचिकाकर्ता को घर संख्या 57,सेक्टर 5, चंडीगढ़ आवंटित करने के अनुरोध के साथ की गई थी-मुख्य सचिव के 16 मार्च, 1993 के पत्र के अनुसार।उपरोक्त घर याचिकाकर्ता को आवंटित नहीं किया गया था।इसके बाद याचिकाकर्ता ने प्रतिनिधित्व किया कि 1986 में जब याचिकाकर्ता ने चंडीगढ़ छोड़ा तो वह छठे प्रकार के घर संख्या 509, सेक्टर 16 पर कब्जा कर रहा था।चंडीगढ़, नियमों के तहत लंबे इंतजार के बाद उन्हें आवंटित किया गया।उस समय उपरोक्त नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा था।यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता के कई कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने बाद में आवेदन किया था, को घरों के आवंटन के मामले में समायोजित किया गया था।सदन संख्या 25, सेक्टर 7 के आवंटन का विशेष संदर्भ दिया गया।उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 5 और सेक्टर 7 में पीजीआई डॉक्टरों द्वारा खाली किए जाने वाले दो घरों में से किसी एक को आवंटित करने का अनुरोध किया।संलग्नक पी. 1 याचिकाकर्ता का 21 अप्रैल, 1993 का पत्र है।उसी का जवाब दिया गया कि इस मामले पर गौर किया जा रहा है जो संलग्नक पी. 2 है।जून 1993 में याचिकाकर्ता ने फिर से चंडीगढ़ प्रशासन को लिखा कि मनमाने तरीके से हाउस नंबर 25, सेक्टर 7, एस.एस. पी., यू. टी., चंडीगढ़ को आवंटित किया गया था, जो उस श्रेणी के घर के हकदार नहीं थे, हाउस नंबर 520, सेक्टर 16, पंजाब कैडर से संबंधित 1978 बैच के श्री राकेश सिंह आई. ए. एस. को एक वी-टाइप घर आवंटित किया गया था, जो छठे प्रकार के घर के लिए भी पात्र नहीं थे।वह पहले से ही सेक्टर 16 में सातवें प्रकार के घर में रह रहा था।इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने घर संख्या 14, सेक्टर 7 या सेक्टर 5 में किसी अन्य घर के आवंटन के लिए अनुरोध किया जो खाली हो सकता है।उनके पत्र की प्रति संलग्नक पी. 3 है।आगे सेक्टर 16 के सदन संख्या 502 का भी उल्लेख किया गया, जिस पर पहले हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव का कब्जा था और उनकी सेवानिवृत्ति पर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश को आवंटित किया गया था।इसके बाद जब सेक्टर 24, हाउस नंबर 502, सेक्टर10 में न्यायाधीशों के सदनों का निर्माण पूरा हो गया था।.श्री एल, एम. मेहता, हरियाणा के मुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव, जो डब्ल्यू बैच के आई. ए. एस.अधिकारी भी हैं, को आवंटित किया गया।चूंकि माननीय न्यायाधीश ने सदन संख्या 502 सेक्टर **16,** सदन संख्या 3408, सेक्टर 24 (न्यायाधीशों का घर) में स्टेविंग जारी रखने की इच्छा व्यक्त की थी।श्री एल. एम. मेहता को आवंटित।

1. चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के लिए सेक्टर 7 में दो घरों का निर्माण किया था।निर्माण पूरा होने पर एक घर चंडीगढ़ आवास बोर्ड के अध्यक्ष श्री मेहरा को आवंटित किया गया था।वह सितंबर 1993 में 1975 बैच के आई. ए. एस. अधिकारी भी हैं।वित्त सचिव, चंडीगढ़ ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि घर संख्या 3408, सेक्टर 24 (न्यायाधीशों का घर) उन्हें आवंटित किया जा रहा है क्योंकि श्री एल. एम. मेहता सेक्टर 7 में एक और घर चाहते थे।गृह सचिव और सहायक संपदा अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को दी गई जानकारी के अनुसार,उपरोक्त घर उन्हें आवंटित किया गया था और औपचारिक पत्र जारी किया जाना था।लेकिन बाद में 24 सितंबर, 1993 को याचिकाकर्ता के संज्ञान में आया कि उपरोक्त घर पीजी आईएल को सौंप दिया गया था या किसी डॉक्टर को आवंटित किया गया था और वह घर संख्या 110, सेक्टर 24याचिकाकर्ता को आवंटित किया गया था।याचिकाकर्ता के संज्ञान में आया कि सदन संख्या 110, सेक्टर 24 पीजीआई को स्वीकार्य नहीं था। इस प्रकार,उपरोक्त न्यायाधीशों का सदन मनमाने ढंग से पीजीआई डॉक्टर को आवंटित किया गया था।24 सितंबर, 1993 को प्रशासक के सलाहकार श्री रमेश चंदर द्वारा कई घर आवंटित किए गए थे**,** यानी 24 सितंबर, 1993 को 25 और 26 सितंबर को सरकारी अवकाश होने के कारण उन्हें कार्यभार सौंपने से ठीक पहले।इसे उनकी ओर से मनमाना कदम बताया गया।सीमा शुल्क कलेक्टर श्री एस**.** पी**.** श्रीवास्तव को आवंटित नियम संख्या 78, सेक्टर 7 के तहत आवंटन के लिए पात्र नहीं होने वाले व्यक्तियों को दो साल की अवधि के भीतर तीन घरों के आवंटन का भी उल्लेख किया गया।100 घरों में से 65 को चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम के अधिकार में रखा गया था।पत्रकारों को कई घर आवंटित किए गए ए जनरल**,** शिकायत यह भी की गई कि केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित अधिकारियों को 4-स्तरीय लाभ मिल रहे हैं अर्थातः**—-**

1. आउट ऑफ टर्न आधार पर घर प्राप्त करनाः

1. हकदारी की तुलना में उच्च श्रेणी-घर का बारी के बाहर आवंटन प्राप्त करना;

    xiii) मूल राज्य में वापस लौटने के बाद भी एक ही घर को बनाए रखना; और

    (iv) निर्देशों में परिकल्पित मानक किराए का 3 गुना भुगतान न करें।

इन तथ्यों के आधार पर ही याचिकाकर्ता ने अंततः प्रतिवादी को सेक्टर 24 में या वैकल्पिक हाउस नंबर 11, सेक्टर 7 या किसी भी प्रकार V या IV हाउस या याचिकाकर्ता को स्वीकार्य किसी भी प्रकार VI हाउस में न्यायाधीश हाउस नंबर 3408 आवंटित करने का निर्देश देने का दावा किया।प्रस्ताव पीठ ने 14 अक्टूबर, 1993 को नोटिस या प्रस्ताव जारी करते हुए कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।सेक्टर 7 में घर संख्या 4,11,25 और सेक्टर 24 में 3408अगले आदेश तक।तत्पश्चात 21 अक्टूबर, 1993 को चंडीगढ़ प्रशासन के वकील को एक निर्देश दिया गया कि वह 1990 से चतुर्थ से सातवीं श्रेणी के घरों के आवंटन को दर्शाने वाले विवरण के साथ आवंटन के प्रासंगिक नियमों को रिकॉर्ड पर रखे और इसके अलावा, यदि ऐसे घरों में से कोई भी संबंधित नियमों के अनुसार अन्यथा आवंटित किया गया था, तो इसके कारणों के साथ-साथ आबंटियों की पात्रता से अधिक उच्च श्रेणी के घरों के आवंटन के लिए भी, यदि कोई हो।

1. याचिकाकर्ता के आरोपों का विरोध करते हुए प्रासंगिक नियमों की प्रति और मांगी गई तारीख के साथ चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से लिखित बयान दायर किया गया है।
1. जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो चंडीगढ़ प्रशासन के वकील द्वारा दी गई रियायत पर याचिकाकर्ता को न्यायाधीश आवास संख्या 3408, सेक्टर24 इस शर्त के साथ आवंटित करने का आदेश पारित करने की मांग की गई कि उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश द्वारा जब भी इसकी आवश्यकता होगी, याचिकाकर्ता को एक और घर आवंटित किया जाएगा।आदेश पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले, याचिकाकर्ता ने आसानी से सुनवाई का अनुरोध किया, इसलिए दोनों पक्षों को दलीलें देने का अवसर दिया गया।याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से दलीलों को संबोधित किया।
1. एक प्रार्थना धारा में याचिकाकर्ता ने घर संख्या 3408, सेक्टर 24 चंडीगढ़ के आवंटन के लिए दावा किया, क्योंकि उक्त घर घर संख्या 502, सेक्टर 16,चंडीगढ़ (एक वी-टाइप हाउस) के बदले में था।चूंकि उपरोक्त राहत देने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी, इसलिए यह भी कहा गया कि जब भी कोई वी-टाइप घर उपलब्ध होगा, वह याचिकाकर्ता को आवंटित किया जाएगा यदि वह घर संख्या 3408, सेक्टर 24, चंडीगढ़ का आवंटन प्रतिग्रहण करना करने को तैयार नहीं है।वास्तव में, इस तरह की रियायत देने के बाद संबोधित अन्य तर्कों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं था।फिर भी सवाल चंडीगढ़ में मकानों के आवंटन से संबंधित है, दलीलों का एक संक्षिप्त संदर्भ उठाया जा रहा है-क्योंकि प्रस्ताव पीठ ने 1990 से बदले में मकानों के आवंटन और उसके कारणों की जानकारी मांगी थी।
1. याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान रिट याचिका को एक जनहित याचिका के रूप में माना जाना चाहिए और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार के घरों के आवंटन की प्रक्रिया की जांच की जानी चाहिए।उनके अनुसार सभी श्रेणियों के घरों में आवंटन के मामले में बनाए गए नियमों का कभी भी सख्ती से पालन नहीं किया गया।नियमों में ढील देकर घर आवंटित करने के लिए हमेशा शक्ति का उपयोग किया जाता था।इस तरह से इस तरह की शक्ति का दुरुपयोग किया गया।प्रशासन को पात्रता, वरिष्ठता के आधार पर घरों के आवंटन के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए एक निर्देश जारी करने की आवश्यकता है जैसा कि नियमों के तहत विचार किया गया है।प्रत्यर्थी-प्रशासन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम. एल. सरीन ने उपरोक्त विवाद का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि याचिका को जनहित याचिका के रूप में मानने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है।रिट याचिका में याचिकाकर्ता केवल एक घर के आवंटन का दावा करता है।चंडीगढ़ प्रशासन के आदेशों से कोई अन्य सरकारी कर्मचारी व्यथित नहीं है।चंडीगढ़ में तीन राज्य काम कर रहे हैं और किसी भी राज्य को इस संबंध में कोई शिकायत नहीं है।बल्कि, लिखित बयान के अनुसार, तीन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, पंजाब और हरियाणा राज्यों की सहमति से एक नीति अपनाई गई है कि संबंधित सरकारों के सरकारी

कर्मचारियों के कब्जे वाले घर संबंधित राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आवंटित किए जाते रहेंगे, जो नीति नियमों के अनुरूप है और नियमों का उल्लंघन नहीं करती है।

1. यह ऐसा मामला नहीं है जिसे जनहित याचिका में परिवर्तित किया जाना चाहिए।नियमों के अवलोकन से पता चलता है कि चंडीगढ़ प्रशासन के नियंत्रण में सरकारी घर अलग-अलग श्रेणियों के हैं, जो दो आवंटन समितियों उच्च और निम्न द्वारा आवंटित किए जाते हैं।निम्न श्रेणी के घरों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आवंटित किए जाने वाले घर भी शामिल हैं, जिनसे निश्चित रूप से वित्तीय संयम के कारण अदालत का दरवाजा खटखटाने की उम्मीद नहीं की जाती है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा तर्क दिया गया है।यह इस संदर्भ में है कि याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि वर्तमान याचिका को जनहित याचिका के रूप में माना जाना चाहिए।यह देखा जा सकता है कि निचली श्रेणी के घरों का आवंटन किसी भी विवाद में नहीं है।इसके अलावा,जैसा कि चंडीगढ़ प्रशासन के विद्वान अधिवक्ता ने बताया है, ऐसे घरों का आवंटन पात्रता वरिष्ठता के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए नियमित रूप से किया जाता है।उच्च श्रेणी के घरों को उच्च आवंटन समिति द्वारा आवंटित किया जाना आवश्यक है।ऐसे घर सरकारी अधिकारियों को आवंटित किए जाते हैं जो उच्च वेतनमान वाले होते हैं।उनके लिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए घरों के आवंटन के मामले में व्यथित हैं तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए असंतुष्ट हैं।बिहार राज्य और <u>अन्य बनाम कमलेश जैन (1) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख इसमें किया जा सकता है।</u>

(1) जे टी **1992 (6)** एस सी **257**। डॉ. दास, एक सरकारी कर्मचारी, विदेश गए थे और उनकी अभाव के कारण उनकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी।डॉ. दास की तरह कई अन्य सरकारी कर्मचारी थे जो विदेश गए थे और वापस नहीं आए थे।सुश्री कमलेश जैन द्वारा डॉ. दास को चिकित्सा सहायता/मुआवजा प्रदान करने के लिए एक जनहित याचिका के रूप में रिट याचिका दायर की गई थी, जिनके बारे में कहा गया था कि वे बिहार के अस्पताल में चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहे हैं।उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक संक्षिप्त आदेश में रु। याचिका को जनहित याचिका मानते हुए डॉ. दास को 2,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर खारिज कर दिया था।उच्चतम न्यायालय से रिट याचिकाकर्ता सुश्री कमलेश जैन के नाम का चेक देने का अनुरोध किया गया था क्योंकि डॉ. दास राशि को भुनाने में असमर्थ थे।इस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया गया था।यह निम्नानुसार देखा गयाः—

> “एक न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, किसी व्यक्ति की सनक की संतुष्टि के लिए, पवित्र, हालांकि,वे स्पष्ट रूप से दिख सकते हैं।चूँकि हमें विवादित आदेश या रिट याचिका में कोई कारण नहीं मिलता है।!वर्तमान मामले में दी गई राहत को उचित ठहरा सकते हैं, हमारा विचार है कि रिट याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए था।”

1. वर्तमान मामले में जैसा कि पहले ही ऊपर देखा गया है, अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई विशिष्ट राहत का दावा नहीं किया गया है, बल्कि दावा की गई राहत केवल सरकारी घरों में से एक के आवंटन के लिए याचिकाकर्ता के संबंध में है।इस याचिका को जनहित याचिका में बदलने के याचिकाकर्ता के तर्क को खारिज कर दिया गया है।न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग किसी व्यक्ति की इच्छाओं की संतुष्टि के लिए करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।,पवित्र, हालांकि वे स्पष्ट रूप से दिख सकते हैं, जैसा कि 'बिहार के स्लेट बनाम कमलेश जैन (2) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था।
1. सरकारी आवास (चंडीगढ़ प्रशासन पूल) आवंटन नियम '1972 (जिसे इसके बाद' द पुलेस 'कहा जाता है) के तहत सरकारी घर के आवंटन का अर्थ है लाइसेंस देना।नियमों के तहत आवंटन दो तरीकों से किया जाता है।नियम 9 के तहत घर की उपलब्धता के संबंध में सरकारी कर्मचारी की पात्रता और हकदारी को ध्यान में रखते हुए नियमों के नियम 2 (डी) के तहत परिभाषित ऊपरी या निचली सदन आवंटन समितियों द्वारा से एक।आबंटन का दूसरा तरीका नियमों में ढील देना है बी. बनाम नियमों के नियम 26 के तहत मुख्य आयुक्त।

नियम 9 और 26 निम्नानुसार हैंः—

> "9. निवासों का आवंटन-एस. आर.-317-ए. एम.-9 (1) इन नियमों में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, जब कोई निवास खाली हो जाता है, तो

1. जे टी **1992 (6)** एस सी **257**।

> नियम 17 के प्रावधानों के तहत उस प्रकार के आवास में बदलाव की इच्छा रखने वाले आवेदक को आबंटित किया जाएगा और यदि उस उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं है तो उस प्रकार के आवास के बिना एक आवेदक को, जिसके पास निम्नलिखित शर्तों के अधीन उस प्रकार के निवास के लिए सबसे पहले प्राथमिकता तिथि होगीः—

1. एक प्रकार का निवास जिसके लिए आवेदक नियम 4 के तहत पात्र है, आवंटित नहीं किया जाएगा।
1. एक आवेदक को उस प्रकार से कम का निवास प्रतिग्रहण करना करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसके लिए वह नियम 5 के तहत पात्र है।"

> "26, नियमों में ढील S.R.-317-AM-26-The मुख्य आयुक्त लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से किसी भी सरकारी कर्मचारी या निवास या निवास के प्रकार के सरकारी कर्मचारियों के वर्ग के मामले में इन नियमों के सभी या किसी भी प्रावधान में ढील दे सकते हैं।"

(10) (उपरोक्त दो नियमों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की आवश्यकता है जो एस. यू. ई. एच. नियमों के निर्माण के उद्देश्य को बढ़ाएगा।यह तथ्य कि नियम 26 के तहत आवंटन बारी-बारी से करने के लिए प्रावधान किया गया था, अन्यथा मौजूद परिस्थितियों का संकेत देता है!घरों के आवंटन की शक्ति का प्रयोग करने के लिए नियमों के अन्य प्रावधानों के तहत विचार किया गया है।ऐसी शक्ति मुख्य आयुक्त के अलावा किसी और को नहीं दी गई है।नियम 26 के तहत मकान के आवंटन के प्रत्येक आदेश को अनुचित या मनमाना नहीं कहा जा सकता है, जो मकानों के आवंटन के लिए पात्रता या हक प्रदान करने वाले नियमों के अन्य प्रावधानों के अनुसार नहीं है।शुरुआत में यह देखा जा सकता है कि नियम 20 (उपर्युक्त) के तहत मुख्य प्रशासक के पास शक्ति बहुत व्यापक है।न केवल यह पूल से घरों को आवंटित करने और घरों को चिह्नित करने या उनकी श्रेणियों को बदलने की शक्ति प्रदान करता है।ऐसी शक्ति की अयोग्यता या असंवैधानिकता के बारे में किसी भी तर्क को संबोधित नहीं किया गया है।

1. अन्यथा भी, नियम कठोर नहीं हैं लेकिन विभिन्न स्थितियों का सामना करने के लिए लचीले हैं।जैसा कि ऊपर कहा गया है कि नीचे दी गई श्रेणी के घरों को आवंटित किया जा सकता है, ऐसे आबंटित, बाद वाले, यदि उपलब्ध हो तो उच्च श्रेणी के घरों के आवंटन का विकल्प चुन सकते हैं।सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद, सेवा में, उसके परिवार के सदस्यों को, जैसा परिभाषित किया गया है, सरकारी घर आवंटित किया जा सकता है।इस प्रकार एक आबंटित व्यक्ति की दूसरे के साथ तुलना
1. यह निर्धारित करने के लिए नहीं की जाती है कि आबंटन की कार्रवाई मनमाना है, यदि आपस में अधिक वितरित किया जाता है। कुछ ही समय में,समान वितरण का सवाल उठ सकता है।हालांकि, जब कुछ घर उपलब्ध हैं और आवंटन के इच्छुक व्यक्ति बहुत अधिक हैं, तो सभी को समायोजित नहीं किया जा सकता है।समान वितरण या समान व्यवहार का सवाल ही नहीं उठेगा।सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को हाथ में लिए गए मामले की ओर आकर्षित नहीं किया जा सकता है।मेसर्स कस्तुरी लाल लक्ष्मी रेड्डी आदि बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और एक अन्य (3)।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः—

> "सरकार द्वारा की गई प्रत्येक कार्रवाई जनहित में होनी चाहिए; सरकार मनमाने ढंग से और बिना किसी कारण के कार्य नहीं कर सकती है और यदि वह ऐसा करती है, तो उसकी कार्रवाई अमान्य होने के लिए उत्तरदायी होगी।यदि सरकार किसी अनुबंध को प्रदान करती है या पट्टे पर देती है या अपनी संपत्ति के साथ कोई अन्य सौदा करती है या कोई अन्य उदारता प्रदान करती है, तो यह तर्कसंगतता

और सार्वजनिक हित की कसौटी पर इसकी वैधता के लिए परीक्षण के लिए उत्तरदायी होगी और यदि यह किसी भी परीक्षण को पूरा करने में विफल रहती है, तो यह असंवैधानिक और अमान्य होगा।"

यह आगे आयोजित किया गया थाः—

"जहां सरकार जनता के साथ काम कर रही है, चाहे वह नौकरी देने के रूप में हो या अनुबंध करने के रूप में या अन्य प्रकार की उदारता प्रदान करने के रूप में, सरकार अपनी इच्छा से मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकती है और एक निजी व्यक्ति की तरह, किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं कर सकती है, लेकिन उसकी कार्रवाई किसी ऐसे मानक या मानदंड के अनुरूप होनी चाहिए जो मनमाना, तर्कहीन या अप्रासंगिक नहीं है।"

1. चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ में सेक्टर-वार सभी विभिन्न श्रेणियों के घरों का विवरण प्रस्तुत किया है जो संबंधित राज्यों के कर्मचारियों के पक्ष में इसके आवंटन का संकेत देता है।उसमें चिह्नित घर भी दिखाए गए हैं।अभिवचनों द्वारा देखने के बाद यह स्थापित तथ्य है, जो तर्द्वारां के दौरान विवादित नहीं है कि सभी उच्च श्रेणी के घरों द्वारा नियम 26 के तहत आवंटित किया जा रहा है।इस तरह के आवंटन के दो मुख्य कारण हैं कि चंडीगढ़ में तैनात उपरोक्त तीन राज्यों के अधिकारियों की संख्या की तुलना में ऐसे घरों की संख्या बहुत कम है।दूसरा, ऐसे कुछ घरों को राज्यों में व्याप्त अशांत परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा कारणों से आवंटित किया गया था, यानी प्रतिभूति प्रदान करने या एक ठोस स्थान पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस श्रेणी को कम किया गया था।बहस के दौरान प्रतिभूति संबंधी कारणों पर किए गए आवंटन को चुनौती नहीं दी गई है।इस प्रकार इसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं माना जाता है।

~ जे3यूएआई आर 1980 एस. सी. 1992.

(13) चंडीगढ़ में सरकारी मकानों के आवंटन की योजना की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि पुनर्गठन के समय संबंधित राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के कब्जे में मकानों की संख्या ऐसी सरकारों द्वारा किए जाने वाले अनुरोध पर उस राज्य सरकार के कर्मचारियों को आवंटन के लिए ऐसे राज्यों के पास निर्धारित की गई है।कभी-कभी ऐसे सरकारी कर्मचारी के लिए घर के बदले में घर का आवंटन किया जाता है जिसे ऐसे राज्य के कोटे से निकाला जाता है।इस प्रकार पंजाब सरकार या यू. टी. सरकारी कर्मचारियों को मकानों के आवंटन के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

(14) श्री ए. एन. माथुर चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में मकान संख्या 691 के कब्जे में थे।हरियाणा के गृह सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति पर मार्च 1993 में गृह सचिव का पद संवेदनशील होने के कारण सदन संख्या 57, सेक्टर 5, चंडीगढ़ के आवंटन के लिए अनुरोध किया गया था।श्री त्रिलोचन सिंह उस घर में रह रहे थे जो उनके दिल्ली स्थानांतरण पर खाली होने की संभावना थी।घर संख्या 11, सेक्टर 7, चंडीगढ़ के कब्जे में पीजीआई हाउस कोटे के बदले में डॉ. गुजराल और घर संख्या 110, सेक्टर 24, जो मूल रूप से पीजीआई कोटे में था, के कब्जे में श्री सुरजीत सिंह थे।इन दोनों सदनों को आबंटियों के सेवानिवृत्त होने पर खाली किया जाना था।चंडीगढ़ प्रशासन ने वित्त सचिव श्री ए. आर. तलवार को सेक्टर 24 में घर पीजीआई कोटे में और सेक्टर 7 में घर आवंटित करने का निर्णय लिया।यू. टी.पीजीआई के निदेशक ने इस आधार पर इस तरह के आवंटन पर आपत्ति जताई है कि सेक्टर 17 के बड़े घर को पीजीआई के वरिष्ठ डॉक्टरों को समायोजित करने के लिए द्विपक्षीय समझौते के अनुसार सेक्टर 24 के घर के साथ बदल दिया गया था। इस प्रकार मामला उस स्तर पर खड़ा है।याचिकाकर्ता हरियाणा सरकार के कर्मचारी होने के नाते यू. टी. या पी. जी. आई. कोटा घर का दावा नहीं कर सकते हैं।

(15) सितंबर 1993 में श्री वी. एन. नेगी, आई. पी. एस. को भारत सरकार से वापस लौटने पर चिकित्सा आधार पर घर संख्या 1016, सेक्टर 24, चंडीगढ़ आवंटित किया गया था क्योंकि उन्हें हृदय रोग था, प्राथमिकता के आधार पर, सेक्टर 24 में निर्मित छठे प्रकार के छह नए घरों में से दो घर हरियाणा के हिस्से में आ गए थे और सुरक्षा

कारणों से श्री एच. डी. अस्थाना और श्री धरमबीर, श्री जी. वज्रलिंगम को आवंटित किए गए थे।संयुक्त सचिव वित्त, आई. टी. टी. को सदन संख्या 198 सेक्टर 16 आवंटित किया गया था।याचिकाकर्ता यू. टी. कोटा हाउस पर दावा नहीं कर सकता है।

(16) श्री एस. एल. अग्रवाल को सितंबर 1993 में यू. टी. कोटे में से हाउस नंबर 197, सेक्टर 16 आवंटित किया गया था. याचिकाकर्ता इस पर दावा नहीं कर सकता है।

(17) चंडीगढ़ के गृह सचिव श्री संजय कोठारी को यू. टी. कोटे में से चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में मकान संख्या 279 आवंटित किया गया था।अधिकारी याचिकाकर्ता से बहुत जूनियर है लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता यू**.** टी. कोटा घरों पर दावा नहीं कर सकता है।

1. श्री के. के. भटनागर और श्री डी. एस. बैंस को पंजाब कोटे से सेक्टर 16 में क्रमशः घर संख्या 44, सेक्टर 7 और 187 आवंटित किया गया था।इसी तरह डी. एस. गुरु, श्री वी. एन. ओझा, पंजाब के अधिकारियों को घर आवंटित किया गया।
1. ऊपर उल्लिखित आवंटन को रद्द नहीं किया जा सकता है।पहला, इस संबंध में कोई प्रार्थना नहीं है; दूसरा, ऐसे आवंटी इस याचिका में पक्षकार नहीं हैं।योग्यता के आधार पर ऐसे आबंटियों के हितों के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा इस तरह के आबंटन का संदर्भ देते हुए बहस के दौरान जोरदार रूप से दबाव डाला गया है कि ऐसे कर्मचारियों को अनुचित लाभ देने के लिए मनमाने ढंग से किया गया था, उनमें से कुछ यू. टी. में काम करने वाले याचिकाकर्ता से कनिष्ठ हो सकते हैं।
2. दलीलों के दौरान, एस. पी. गुप्ता, मान्यता प्राप्त संवाददाता 'दैनिक शिवालिक संदेश' और अन्य बनाम प्रशासक**,** केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़-सह-पंजाब**,** चंडीगढ़ के राज्यपाल और अन्य *'(ए)* मामले में इस अदालत के फैसले का भी संदर्भ दिया गया था।हालाँकि, उपरोक्त निर्णय हाथ में मामले का निर्णय लेने में सहायक नहीं है।उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक पत्रकार और प्रेस संवाददाता के पक्ष में किए गए घर के आवंटन पर नियमों के तहत विचार नहीं किया गया था और इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों को आवंटन रद्द कर दिया गया था।
1. इस प्रकार इस याचिका का निपटारा चंडीगढ़ प्रशासन की रियायत के अनुसार किया जाता है कि यदि घर संख्या 3408, सेक्टर 24, चंडीगढ़ का आवंटन याचिकाकर्ता को स्वीकार्य नहीं है, तो उसे उस श्रेणी का कोई अन्य घर आवंटित किया जाएगा जिसका याचिकाकर्ता हकदार है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।सभी फाइलें श्री सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता को वापस कर दी गईं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा